संख्या-57/2021/880/26-3-2021-23 (विविध)/2018

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 25 मार्च 2021

विषयः-समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय को सी0बी0एस0ई0बोर्ड से सम्बद्ध किये जाने हेतु शैक्षणिक कार्मिको के आवास निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2801-02/स0क0/आ0प0वि0-प्रकोष्ठ(532)/2020-21, दिनांक-24.02.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, दुनारा, जनपद-झांसी, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, दरियापुर, जनपद-हमीरपुर एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय हाजीपुर महमूदाबाद जनपद-सीतापुर में ट्रांजिट हास्टल निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-83/2018/921/26-3-2018-23(विविध)/2018, दिनांक-27.03.2018 द्वारा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, दुनारा झांसी एवं दरियापुर हमीरपुर में ट्राजिस्ट हास्टल निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-144.675 लाख एवं 144.675 लाख तथा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, हाजीपुर महमूदाबाद सीतापुर में टांजिट हास्टल निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-144.675 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 में संचालित योजना राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय दुनारा झांसी एवं दरियापुर हमीरपुर में ट्राजिस्ट हास्टल निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-144.675 लाख एवं 144.675 लाख, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, हाजीपुर महमूदाबाद सीतापुर में ट्रांजिट हास्टल निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-130.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-419.35 लाख (रू0 चार करोड़ उन्नीस लाख पैतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0आर0एन0एस0एस0 लखनऊ के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

2-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

3-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

4-स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथ उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

5-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण निर्धारित ससमय में पूर्ण कर लिया जाए।

6-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य/कार्यक्रमों के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

7-धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नही रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

8-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

9-धनराशि का आवंटन बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही किया जायेगा।

10-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24 मार्च 2020, 11 अप्रैल 2020, 18 मई, 2020 तथा 29 सितम्बर 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11-उक्त प्रायोजन की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात निर्माण प्रारम्भ कराया जाए। उक्त कार्य की मात्राओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

12-प्रश्नगत कार्यो में शासनादेश संख्या-1178/26-3-2020, दिनांक-12.05.2020 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत सुसंगत लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24 मार्च 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय
राकेश कुमार सचान
अनुसचिव।

पृ0संख्या-57/2021/880(1)/26-3-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, झांसी/हमीरपुर/सीतापुर।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण)/अनुभाग-4, उ0प्र0शासन।
7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एस0एस0, लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राकेश कुमार सचान
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।